सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-19 7 से 21 अक्टूबर, 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान

देश भर में 8 नवम्बर को राज्य स्तर पर जेल भरो आन्दोलन सफल करें

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

नई दिल्ली : 7 सितम्बर को मावलंकर हाल में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त बैनर तले श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के संचालन के लिए अध्यक्षमण्डल में हर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से एक सदस्य था। इसमें ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन सेन्टर (एआईयूटीयूसी) का प्रतिनिधित्व कॉमरेड आर के शर्मा ने किया। एआईयूटीयूसी के अध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती के अलावा बीएमएस के सचिव पवन कुमार, इंटक के अध्यक्ष संजीवा रेड्डी, एटक के महासचिव गुरुदास दासगुप्ता, एचएमएस के महासचिव उमरावमल पुरोहित, सीटू के महासचिव तपन सेन, एआईसीसीटीयू के महासचिव सपन मुखर्जी, यूटीयूसी के सचिव अबानी राय, टीयूसीसी के महासचिव एस पी तिवारी, एलपीएफ के महासचिव एम शुम्मुगन और सेवा की सचिव मालिनी शाह ने सम्मेलन को सम्बोधित किया।

सम्मेलन में एक घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसमें 10 सूत्री माँगों को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में ऐलान किया गया कि 8 नवम्बर को सभी राज्यों की राजधानियों व औद्योगिक केन्द्रों में सत्याग्रह, जेल भरो, जन धरने आदि विभिन्न तरह की कार्रवाइयों का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लिया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन ने सभी ट्रेड यूनियनों व सम्बद्धताओं को भूलाकर सामान्यत: सभी मजदूर-कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे उक्त कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनायें और अगले चरण में यथासम्भव शीघ्र देशव्यापी हड़ताल की तैयारी के लिए राज्य स्तर व उद्योग स्तर पर सम्मेलन आयोजित करें।

कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने अपने सम्बोधन में कहा :

सभापतिमण्डल के सदस्यो, मंच पर उपस्थित नेताओ और साथियो, आप जानते हैं कि कन्वेन्शन कई तरह की होती हैं। आन्दोलन की शुरूआत में हम माँग पत्र तैयार करने और उस पर चर्चा-बहस करने के लिए कन्वेन्शन करते हैं, ज्ञापन तैयार करते हैं और सरकार के सामने उसे पेश करते हैं। ऐसी कन्वेन्शन हमने की थी और सरकार को माँग पत्र पेश किये हुए दो साल हो गये। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार हमारी माँगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए यह कन्वेन्शन चरित्रगत रूप से उससे भिन्न है। यह कन्वेन्शन संघर्ष की तैयारी के लिए है। संघर्ष की तैयारी के लिए कुछ बुनियादी बातें समझनी जरूरी हैं।

आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पूंजीवादी व्यवस्था ही सभी समस्याओं की जड़ है। पूंजीवाद बहुत अर्से पहले ही संकटग्रस्त हो चुका है। कॉमरेड लेनिन ने 20वीं सदी की शुरूआत में ही बताया था कि पूंजीवाद अपने सर्वोच्च स्तर साम्राज्यवाद में पहुंच कर मरणासन्न हो चुका है। तब से 100 साल बीत जाने के बाद यह संकट बढ़ते-बढ़ते आज जिस स्तर पर आ पहुंचा है इससे पूंजीवाद का छुटकारा सम्भव नहीं है। यह एक संकट से उबरने के प्रयास में और भी गहरे संकट में फंस जाता है। आपने कुछ साल पहले जो भयंकर महामंदी देखी वह इसी पूंजीवादी संकट के कारण आई थी। इस पूंजीवादी व्यवस्था के कायम रहते मजदूर वर्ग की मुक्ति सम्भव नहीं है। पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर ही मजदूरों की मुक्ति सम्भव है। आखिरी संघर्ष तो पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर समाजवाद कायम करने का ही संघर्ष है। लेकिन तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धर कर चुप बैठे रहें? क्रांति होने तक क्या हमारे लिए करने को कुछ नहीं है? क्या हम नियति मानकर इस शोषण-जुल्म को यूं ही सहते रहें, भुगतते रहें और मरते रहें? –नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि हम अपने हकों के लिए लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें और इसी संघर्ष की तैयारी में आखिरकार क्रांति आयेगी। इसी तैयारी की कड़ी में यह कन्वेन्शन हो रही है। आपको यह भी जानना चाहिए कि पूंजीवाद का संकट तब से और भी गहरा हो

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के प्रति हमारा नजरिया

(जब अन्ना हजारे का आन्दोलन चल रहा था, पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा 25 अगस्त को आयोजित स्टडी क्लास का संचालन पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने किया जिसमें उन्होंने इस आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।)

कॉमरेड्स,

आप लोगों ने काफी प्रश्न रखे हैं, यह अच्छा है कि इस आंदोलन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रश्न रखे गये हैं। इस विषय पर व्यापक समझदारी हासिल करने के लिए आंदोलन के बारे में एक गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि यह कोई साधारण आंदोलन नहीं है। अन्ना हजारे तथा इस आंदोलन के अन्य नेताओं के खिलाफ जो भी आलोचना की जा रही है चाहे वह अरुंधति राय, प्रभात पटनायक जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा हो या कांग्रेसी नेताओं के द्वारा हो हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 1975 के बाद से ऐसा विशाल आंदोलन नहीं हुआ जिसमें देशभर से लाखों की संख्या में लोग जुटे हों। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां लोग इस आंदोलन में जुटे न हों। लाखों की संख्या में आम लोग सड़कों पर उतर आये हैं और जो लोग अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे हैं काफी स्पष्ट है कि वे भी इस आंदोलन का मन से समर्थन करते हैं अर्थात् ऐसी शक्तियां जिनका कुछ निहित स्वार्थ है उनको अगर छोड़ दिया जाये तो सामान्यत: देश की जनता इस आंदोलन में है। इस मायने में यह एक शानदार आंदोलन है। निस्संदेह इस आंदोलन की कुछ कमजोरियाँ और सीमाबद्धताएं हैं। जब आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर दक्षिणपंथी ताकतों के हाथ में हो, तो यह अवश्यंभावी है। आज के बुर्जुआ समाज में दक्षिणपंथी ताकतों की यह वस्तुपरक तथा ऐतिहासिक सीमाबद्धता, इस आंदोलन में भी अवश्यंभावी रूप में प्रतिबिंबित होगी ही। आंदोलन के नेतृत्व का सम्बन्ध इसी बुर्जुआ समाज से है, उनकी राजनीति वामपन्थी नहीं है। परिस्थिति ऐसी है तो क्या हम आंदोलन में शामिल नहीं होंगे? आंदोलन में शामिल न होना एक गंभीर भूल होगी। आंदोलन के नेतृत्व में अगर वाम पार्टियां नहीं हैं तो यह वाम आंदोलन की ही कमजोरी को प्रदर्शित करता है। यह कैसे हो सकता है कि वाम ताकतों की इस कमजोरी की वजह से वाम पार्टियां आंदोलन में शामिल न हों? जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वे मार्क्सवाद की तो बात ही छोड़ दीजिए वामपंथ को भी नहीं समझते हैं। हमें आंदोलन में शामिल होना चाहिए। कुछ तथाकथित प्रगतिशील व्यक्तियों ने काफी सारे सवाल उठाये हैं जैसे कि अन्ना जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वे एक प्रतिक्रियावादी हैं, वे गांधीवादी हैं। अन्ना ने अतीत में क्या किया, वह आज प्रासंगिक नहीं है। पिछली शताब्दी में सत्तर के दशक में हुये जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। वह एक विशाल आंदोलन था। जिन्होंने उस आंदोलन को नहीं देखा वे इस बात का

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पेट्रोल मूल्यवृद्धि की एसयूसीआई(सी) द्वारा कड़ी निन्दा

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 16 सितम्बर, 2011 को जारी एक बयान में कहा: कांग्रेस-नीत केन्द्र की यूपीए-2 सरकार ने तेल कम्पनियों को एक बार फिर दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी है। यह मूल्यवृद्धि आवश्यक चीजों के दामों में और बढ़ोतरी कर देगी। इस प्रकार आम लोगों की मुसीबतों को बेतहाशा बढ़ा देगी। इस जनविरोधी फैसले की हम कड़ी निन्दा करते हैं और इस बढ़ोतरी को तुरन्त वापस लेने की मांग करते हैं।

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कितना विशाल आंदोलन था। सन् 1975 में 25 जून को दिल्ली में हुई जनसभा एक विशाल जनसैलाब था। मैं उस सभा में था। मुझे ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के पास बामुश्किल खड़े होने की जगह मिल पाई थी। उतनी दूरी से जे.पी. की एक झलक भी पाना संभव नहीं था। जे.पी. द्वारा शुरू किये गये उस आंदोलन में हमारी पार्टी शामिल थी। तब जनसंघ, 1968-69 में कांग्रेस में एक विभाजन के उपरांत बनी-निजिलिंग गप्पा, मोरारजी देसाई, अशोक मेहता आदि के नेतृत्व वाली कांग्रेस(ओ) जैसी दक्षिणपंथी पार्टियां व दूसरी ओर चरणसिंह की बी.एल.डी., तत्कालीन सोशलिस्ट पार्टी तथा आर्य समाज के स्वामी अग्निवेश भी उसमें शामिल थे। सीपीआई पहले से ही कांग्रेस सरकार के साथ थी। सीपीएम ने इस आधार पर इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया कि उसमें जनसंघ जैसी फासीवादी पार्टी थी। उस परिस्थिति का सुंदर ढंग से विश्लेषण करते हुए कॉमरेड घोष ने दिखाया था कि देश में कोई रूढ़िवादी ताकत फासीवाद नहीं ला सकती बल्कि तथाकथित प्रगतिशील ताकतें, जो प्रगतिशील नारों की आड़ में जनता को भ्रमित करती हैं, वे ही फासीवाद कायम करने में सक्षम होती हैं और वास्तव में यह श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना 20 सूत्री कार्यक्रम लाकर बेघर को घरों, बेरोजगारों को रोजगार, भूमिहीनों को भूमि देने आदि के सामाजिक जनवादी नारे उठाए थे। यहां तक कि हिटलर को भी फासीवाद लाने के लिए ऐसे ही सामाजिक जनवादी नारे उठाने पड़े थे। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि सन् 1974 के दौरान छात्रों नौजवानों ने पहले गुजरात में 'नवनिर्माण आंदोलन' शुरू किया था। इसके तुरंत बाद बिहार में छात्र-नौजवानों का आंदोलन हुआ। इनमें से किसी भी आंदोलन का नेतृत्व वाम पार्टियों ने नहीं किया था। जे.पी. जो उस समय 'भूदान', आंदोलन में व्यस्त थे, उनसे लोगों ने बिहार आंदोलन को नेतृत्व देने का अनुरोध किया। उसके बाद ही आंदोलन ने तेजी पकड़ी और विशाल रूप अख्तियार किया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उन्हीं जे.पी. ने एक समय अमेरिकी साम्राज्यवाद के सहयोग से तथा भारत सरकार के समर्थन से तिब्बत में दलाई लामा द्वारा किए गये प्रतिक्रांतिकारी उभार का समर्थन किया था। लेकिन वही जे.पी. थे जिनके नेतृत्व में 1974-75 का आंदोलन हुआ जो वास्तव में एक लोकतांत्रिक आंदोलन था। इसने एक विशाल जनआंदोलन का रूप ले लिया था। हमारे शिक्षक तथा पथ-प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष ने उस आंदोलन का विश्लेषण करके दिखाया था कि वह एक लोकतांत्रिक आंदोलन था। कोई आंदोलन अगर वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक हो लेकिन उसके नेतृत्व में दक्षिणपंथी ताकतें हों तो इसका बहाना बनाकर कोई सही क्रांतिकारी ताकत इससे दूर नहीं रह सकती। अगर वामपंथी शक्तियाँ नेतृत्व में नहीं हैं, तो यह वामपंथी शक्तियों की ही कमजोरी है। क्या बहाने बनाकर आप जनआन्दोलन से दूर रहेंगे। कम्बोडिया में साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व प्रिंस नरोदम सिंहानुक द्वारा किया गया, अब अगर इस आंदोलन का नेतृत्व एक प्रिंस द्वारा किया गया तो क्या वह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन नहीं रहा? यह सही मूल्यांकन नहीं है। यह आंदोलन की एक वास्तविक कमजोरी है, पर इसके लिए उस आंदोलन को प्रतिक्रियावादी करार नहीं दिया जा सकता। फिर कोई आंदोलन लोकतांत्रिक है या नहीं इसको जांचने का मापदण्ड क्या होगा? यह जानना अत्यावश्यक है वरना किसी आंदोलन में हम शामिल होंगे या नहीं-यह हम कैसे तय कर पायेंगे? इस आंदोलन को फासिस्ट आन्दोलन की संज्ञा देना निराधार है।

सर्वप्रथम हमें यह जांचना होगा कि आंदोलन की मांगें क्या हैं और मांगें न्यायसंगत तथा लोकतांत्रिक हैं या नहीं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभूतपूर्व आंदोलन केवल विभिन्न घोटालों के कारण ही शुरू हुआ है जैसे कि ए. राजा, कनिमोझी और कलमाड़ी, येद्युरप्पा आदि द्वारा किये गये? क्या यह केवल इन लोगों के भ्रष्टाचार के ही कारण हुआ? यह केवल इन लोगों के भ्रष्टाचार के ही कारण नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि लोगों के अंदर इस सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश बहुत लम्बे समय से जमा हुआ है। 1974-75 का जे.पी. आंदोलन भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा शैक्षणिक सुधारों जैसे विषयों को आधार करके ही संगठित हुआ था। उस समय भी आंदोलन का मुख्य जोर भ्रष्टाचार के ही खिलाफ था। यह सोचना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह वर्तमान आंदोलन केवल बड़े-बड़े घोटालों के कारण ही तेज हुआ है यह कोई सटीक समझदारी नहीं है। हालांकि निस्संदेह इन घोटालों ने भ्रष्टाचार जग जाहिर कर दिया है तथा उसके खिलाफ आंदोलन को तेज करने में एक उत्प्रेरक का काम किया है। हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार वर्तमान मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था की उपज है। यह महज़ कुछ गलत नीतियों का ही परिणाम नहीं है। हालांकि सरकारी नीतियां समय-समय पर इसको बढ़ाने में एक भूमिका अदा करती रही हैं। इसका मूल कारण व्यक्तिगत मालिकाने पर आधारित यह पूंजीवादी व्यवस्था है, हालाँकि ऐतिहासिक विकासक्रम के एक विशेष स्तर पर सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत मालिकाने ने सामंती दासता के बंधन से व्यक्ति को मुक्त कराने में एक प्रगतिशील भूमिका अदा की थी। वह निश्चित रूप में एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसने समाज को बदला तथा एक नई सभ्यता को जन्म दिया जिसे हम बुर्जुआ समाज या वर्तमान सभ्यता कहते हैं। तब उसकी भूमिका प्रतिक्रियावादी नहीं, क्रांतिकारी थी जिसने शिक्षा को चर्च के शिकंजे से मुक्त किया, ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीकी को विकसित किया। इसने न केवल भौतिक उत्पादन बल्कि चिंतनगत उत्पादन अर्थात विचारों के क्षेत्र में भी उत्पादन की एक बाढ़ सी ला दी थी। इन दोनों उत्पादनों ने मिलकर समाज को आगे बढ़ाया। वह एक अभूतपूर्व क्रांति थी।

उस दौर में व्यक्तिगत मालिकाने की यह भूमिका थी। भले ही यह व्यवस्था शोषण पर आधारित थी, पर इस व्यवस्था ने तब तक भ्रष्टाचार को जन्म नहीं दिया था। ऐसा इसलिए था कि सामंती जीवन की अवस्था के विरुद्ध जो बुर्जुआ मूल्यों, नीति-नैतिकता की धारणा उभर कर आई थी वह प्रगतिशील थी। इसी बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रांति ने रूसो, वॉल्टेयर, जार्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन जैसी अन्य महान हस्तियों को जन्म दिया था। हमारे देश में भी इसने राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा फूले, सुब्रमण्यम भारती, शरतचंद्र चटर्जी, काज़ी नजरूल इस्लाम, सुभाष बोस, भगत सिंह तथा अन्य क्रान्तिकारियों को पैदा किया था। लेकिन कालक्रम में एकाधिकारी तथा साम्राज्यवादी स्तर पर पहुँच जाने के बाद, यही पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया। आज पूंजीवाद एक असमाधेय तथा गहरे संकट में फंस चुका है और इस संकट ने, खासकर संस्कृति तथा नीति-नैतिकता के क्षेत्र में संकट ने भयंकर रूप ले लिया है। फलस्वरूप इसका प्रगतिशील चरित्र समाप्त हो चुका है। लोगों ने अनुभव किया है कि अमेरिका से शुरू हुए वर्तमान भयंकर मंदी के संकट ने समूची पूंजीवादी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है तथा दुनिया के पैमाने पर आम जनता को कंगाली और बदहाली में धकेल दिया है। पूँजीवाद में ऐसे संकट कोई नयी बात नही हैं। पहले ऐसे संकट नियमित अंतरालों में घटित होते थे, पर अब पूंजीवाद इसका हर दिन व हर घंटे सामना कर रहा है और इससे बचने का कोई रास्ता भी इसके पास नहीं है। इस संकट और अनिश्चितता का लोगों के चिंतन में प्रतिबिम्बित होना अवश्यंभावी है। इस अनिश्चित आर्थिक भविष्य के कारण ही लोग धन-दौलत व सम्पत्ति एकत्रित करके सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। इसलिए यह इस परिस्थिति का अवश्यंभावी परिणाम है, खासकर जब बुर्जुआ मूल्यों व नीति-नैतिकता की धारणा लगभग नि:शेषित और ध्वस्त हो चुकी हैं तथा जीवन अनिश्चित हो चुका है, येन-केन-प्रकारेण धन-दौलत और सम्पत्ति इकट्ठा करने की प्रवृत्ति लोगों में पनप रही है। हकीकत में भ्रष्टाचार का मूल कारण यही है।

आज भ्रष्टाचार कुछ मंत्रियों व ऊँचे अफसरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह नीचे के पायदानों तक फैल चुका है। जैसे, उदाहरण के लिए मान लीजिए रेल से आपको अपनी बीमार माँ से मिलने जाना है और आपकी सीट आरक्षित नहीं हो पायी तो आपको अपनी यात्रा के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर कर दिया जायेगा। लेकिन आपका मन इसका विरोध करता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार आज हर क्षेत्र में फैल चुका है। शिक्षा-स्वास्थ्य का व्यापारीकरण-निजीकरण भी लोगों को अतिरिक्त पैसा खर्च करने पर मजबूर कर रहा है, खासकर जब उन्हें अपने बच्चों का दाखिला अपने पसंद के स्कूलों में कराने के लिए मोटी रकम चंदे के रूप में अदा करनी पड़ती है। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिये फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक नहीं पहुंचती हैं। नहीं तो आपको बिना किसी परिणाम के बार-बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। देशभर में लोग हर दिन इसी परेशानी को झेल रहे हैं। वे अपनी इच्छा से रिश्वत नहीं देते हैं बल्कि रिश्वत देने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्वत देना भी तो भ्रष्टाचार है। हमें यहां एक भेद करना होगा। हम क्रांतिकारियों को जनता को समझना होगा। लोग मजबूरी में रिश्वत देते हैं। इसलिए उन्हें भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। जो लोग सत्ता तथा अपनी शक्तियों के बल पर लोगों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं या नाजायज काम करके पैसा ऐंठते हैं। वे ही वास्तव में भ्रष्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सभी भ्रष्ट हैं, सारा देश भ्रष्ट है, समूची जनता भ्रष्ट हो चुकी है। यह सही मूल्यांकन नहीं है। सच्चाई यह है कि लोगों के दिलों में इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ घृणा तथा क्रोध भरा हुआ है। वे अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते और बहुत अनिच्छापूर्वक इसके सामने घुटने टेक देते हैं। इसलिए जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो लोगों में इसके खिलाफ खुलकर सामने आने का भरोसा पैदा हो गया है। वे इसे अपना आंदोलन मानकर इसमें कूद पड़े हैं। जो ये कह रहे हैं कि यह सब मीडिया की बदौलत हुआ है-यह मूल्यांकन सही नहीं है। मीडिया ने निस्संदेह एक भूमिका अदा की है। लेकिन यह कहना कि सारा आंदोलन ही मीडिया की वजह से हुआ है-बिल्कुल भी सही नहीं है। जे.पी. आंदोलन के समय में टी.वी. का कितना विस्तार था? लेकिन पूरे भारत से लाखों लोग दिल्ली में आये थे। उन दिनों टी.वी. की कोई भूमिका नहीं थी। आज हम देखते हैं कि टी.वी. जनमत तैयार करने का ताकतवर उपकरण बन चुका है। लेकिन अगर लोगों में इस व्यवस्था के खिलाफ गहरा असंतोष व्याप्त न हो, तो केवल टी.वी. से ही आप इन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेंगे। हमें वास्तविक आधार, वास्तविक कारण को समझना चाहिए। टी.वी. तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया लोगों को एकजुट करने में तभी मदद कर सकता है जब परेशानियाँ पहले से मौजूद हों और जनता के मन में जबरदस्त आक्रोश जमा हो गया हो। यहां एक कॉमरेड ने एकदम सही बात रखी है कि अन्ना के इस आंदोलन ने लोगों में खुलकर सामने आने का हौसला पैदा कर दिया है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी का मामला ले लीजिए। यह तो काफी बड़ी समस्या है। इसने लोगों के जीवन को अत्यंत तकलीफदेह बना दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर चाहे जितना भी आंदोलन गठित करने का प्रयास करो लेकिन वह इस आंदोलन की तरह रफ्तार नहीं पकड़ पायेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को यह विश्वास नहीं है कि इस मांग को पूरा करवाया जा सकता है। उनका समर्थन तो मिलेगा, पर भागीदारी नहीं होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्तमान आंदोलन ने लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि सफलता अर्जित की जा सकती है। भले ही पूर्ण सफलता न भी मिले, फिर भी, कुछ हद तक तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया ही जा सकता है। इतने विशाल आंदोलन के उभरने के पीछे यह एक मुख्य कारण है।

दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे क्रांतिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकते वह यह है कि उन्हें जनता को समझना होगा, उन्हें जनता को गहराई से जानना होगा। यह तभी किया जा सकता है जब वे जनता के साथ रहें। केवल तभी वे यह समझ सकते हैं कि एक आंदोलन जो एक विशेष मांग को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ

(शेष पृष्ठ 4 पर)

शहीद भगतसिंह जयंती पर फलोदी में प्रभात फेरी

एआईडीएसओ द्वारा शहीद भगतसिंह जयंती पर नगरपालिका पार्क से गाँधी चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें समारोह संयोजक संगीता रावत, दान सिंह, रामचंद्र, सूरज, रामसिंह, अजित पोसवाल, मुस्ताक, सोनू ठाकरराम न भाग लिया। सायंकाल नगरपालिका पार्क में शहीद भगतसिंह का श्रद्धांजलि अर्पण समारोह हुआ जिसकी अध्यक्षता संगठन के नगर अध्यक्ष श्रवण विश्नोई ने की और मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राजू शर्मा, विशिष्ट अतिथि कमलेश नाहैलिया, जगदीश जयपाल, सूर्यप्रकाश जीनगर व शहीद व मनीषी यादगार कमेटी के संयोजक छाजू राम रावत थे। मुरारी थानवी, राधेश्याम व जीवन भील ने शहीद भगतसिंह के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला।

श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

गया है जब से भूमण्डलीकरण, उदारीकरण व व्यापारीकरण की जनविरोधी नीतियां लागू की गई हैं। दुनिया के पूंजीपति-साम्राज्यवादियों ने तमाम दुनिया के मेहनतकशों का शोषण करने के लिए ये नीतियां सोवियत यूनियन के पतन के बाद एक साजिश के तहत लागू की हैं। जब तक समाजवादी खेमा था और समानान्तर समाजवादी बाजार था, तब तक वे ऐसा नहीं कर पाये और न ही ऐसा करने का कोई उपाय ही था। समाजवाद के पतन के बाद ही वे इस साजिश में कामयाब हो पाये। भारतीय पूंजीपति वर्ग भी इस साजिश में शामिल हो गया और केन्द्र व राज्य स्तर पर जोरशोर से इन नीतियों को लागू करने लगा। ऐसी बात नहीं है कि ये किसी व्यक्ति की गलतियों की वजह से लागू की जा रही हैं, बल्कि इस व्यवस्था के तहत जो मजदूर-विरोधी नीतियां लागू की जा रही हैं उनकी वजह से ये तमाम समस्याएं हैं। सवाल जब नीतियों का है तो साधारण आन्दोलनों, अनुरोधों या फरियादों से ये समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं। यह बुनियादी बात है। इसलिए हमें आन्दोलन की इतनी बड़ी ताकत पैदा करनी होगी ताकि सरकार को इसके आगे झुकना पड़े। इसकी तैयारी हमें करनी है। देश भर में हर कारखाने में एकदम निचले स्तर तक मजदूर संगठित हों, मजदूरों की संघर्ष कमेटियां बनें, उनके नेतृत्व में स्वयंसेवक भर्ती किये जाएं और लगातार आन्दोलन चलता रहे। आन्दोलन तब तक चलता रहे जब तक कि सरकार माँगें मान न ले। सफलता तभी मिलेगी। आपने देखा जैसे अन्ना हजारे के आन्दोलन में सफलता मिली। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। जब हजारों हजार लोग देश भर में जुटने लगे, तो उसी डर से सरकार को झुकना पड़ा। एक दिन की आम हड़ताल या विरोध प्रदर्शन या जेल भरो से काम नहीं चलेगा। लगातार आन्दोलन करना पड़ेगा।

आप लोग बहुत दिनों से संघर्ष में हैं और जानते हैं कि इसी लगातार संघर्ष के लिए ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व तैयारी कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस तैयारी में पूरा सहयोग देंगे, पूरे देश भर में यह संदेश ले जायेंगे और संगठित होते रहेंगे। केन्द्रीय नेतृत्व जो भी कार्यक्रम देगा उसे आप लागू करते रहेंगे। अगर इस तरह हम सब कोशिश करते रहें तो हमारी माँगें जरूर पूरी होंगी। इसी पूंजीवादी व्यवस्था में ये जनवादी माँगें पूरी न होने की कोई वजह नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था उखड़ेगी तभी जाकर ये माँगें पूरी होंगी। पूंजीवादी व्यवस्था में ही ये माँगें पूरी हो सकती हैं। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माँग उठी उसे कुछ हद तक मान लिया गया। हम जानते हैं कि जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो सकता, फिर भी कुछ लगाम तो इस पर लगाई ही जा सकती है। फिलहाल मजदूर आन्दोलन की जो माँगें हैं उनमें से बहुत सी माँगें ऐसी हैं जिन्हें इसी व्यवस्था में पूरा किया जा सकता है। जैसे मालिक जो लेबर कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है बशर्ते कि हम संगठित और सचेत हों। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप इसी प्रकार संघर्ष करते हुए संगठित और सचेत होंगे, आन्दोलन को और आगे ले जायेंगे और अपनी माँगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। इन्कलाब जिन्दाबाद!

लखनऊ में छात्र सम्मेलन सम्पन्न

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एमएन श्रीराम

शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के गिरते स्तर के खिलाफ शुक्रवार को अमीनाबाद स्थित गंगाप्रसाद मंमोरियल हाल में ऑल इण्डिया डीएसओ के तत्वावधान में छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आये छात्रों ने शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई की माँग की। इससे पहले संगठन के बैनर तले चारबाग से लेकर अमीनाबाद तक एक जुलूस भी निकाला गया। मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एमएन श्रीराम थे। संगठन की राज्य सचिव कॉ. झरना मालवीय ने संगठनात्मक रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन में कॉ. पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा, जुबैर रब्बानी ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर नई राज्य कमेटी का चुनाव भी कराया गया, जिसमें अध्यक्ष झरना मालवीय व राज्य सचिव हरिशंकर मौर्य को चुना गया।

छात्र संघ के चुनाव में डीएसओ का पूरा पैनल जीता

मध्यप्रदेश के गुना में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में डीएसओ का पैनल सभी सीटों पर जीता है। राजनीतिक व कॉलेज प्रबंधन के चौतरफा दबाव के बावजूद डीएसओ की कॉलेज इकाई ने विरोधियों को भारी बहुमत से परास्त करते हुए अपनी जीत दर्ज की है। इस पैनल में निर्वाचित हुए अध्यक्ष पद पर नीरज बैरागी, उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार अहिरवार, सचिव शोभना श्रीवास्तव, सहसचिव पूजा कुशवाहा और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर सोनम शर्मा। चुनाव परिणाम आने के बाद पीजी कॉलेज से भगतसिंह चौक तक एक शानदार जुलूस निकाला गया। भगतसिंह चौक पर शहीद-ए-आजम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीरज ने कहा कि शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण, फीस वृद्धि आदि के खिलाफ आन्दोलन जारी रहेगा।

एआईयूटीयूसी द्वारा नए खान विधेयक का विरोध

कोयला खदानों की सेफ्टी स्टैण्डिंग कमेटी के सदस्य, कोल माइनर्स फैडरेशन के अध्यक्ष और एआईयूटीयूसी के सचिव मण्डल के सदस्य कॉमरेड सुनील मुखर्जी ने खान कानून-1952 के संशोधन विधेयक-2010 का विरोध करते हुए कहा कि खदानों के विकास, काम के अच्छे माहौल, कामगारों के कल्याण आदि अच्छी-अच्छी बातों की आड़ में 'संशोधन विधेयक 2010' कामगार हित-विरोधी एक साजिश के सिवाय और कुछ नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि आला अफसरों के हुक्म पर मजदूर-कर्मचारी अपनी इच्छा के विरुद्ध खदान सुरक्षा कानून को अनदेखा कर काम करने पर मजबूर होते हैं। इस स्थिति में दुर्घटना की तमाम जिम्मेदारी मजदूर-कर्मचारियों, खासकर माइनिंग सरदार और ओवरमैनों पर थोप कर उन्हें सजा देना अत्यन्त अन्याय है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक-2010 में सजा और जुमाने की मात्रा सौगुना बढ़ाने की बात कही गई है जबकि खान प्रबंधन और अफसर खान सुरक्षा कानून की घोर अवहेलना कर येन-केन प्रकारेण उत्पादन बढ़ाकर अपना उल्लू सीधा करने में व्यस्त हैं।

कॉमरेड मुखर्जी ने यह भी कहा कि इस विधेयक का एक और खतरनाक पहलू है 1956 के कम्पनी गठन कानून को सामने रखकर निजीकरण का रास्ता खोल देना। यह विधेयक कानून बन गया तो देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारोबारी सरकारी खदानों के मालिक बन बैठेंगे और देश में गरीबी का फायदा उठाकर अनगिनत बेरोजगारों की सस्ती श्रम शक्ति खरीदकर और इस देश का कच्चा माल लूट कर मुनाफे का अम्बार लगाएंगे। प्रसंगवश यह बताना जरूरी है कि एक दिन कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय हित की बात करते हुए ही 1971 और 1973 में खदानों का राष्ट्रीयकरण कर अपना प्रगतिशील चेहरा पेश करने की कोशिश की थी। उन दिनों सीपीएम, सीपीआई और उनके मजदूर संगठनों ने इसे प्रगतिशील काम बताकर उसकी वाह-वाह भी की थी। उन दिनों हमारे संगठन की ओर से कहा गया था कि यह राष्ट्रीयकरण प्रगतिशील काम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के समग्र स्वार्थ में ही किया गया काम है। बदले हुए हालात में आज पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के घनघोर बाजार संकट और आर्थिक मंदी के जमाने में भूमण्डलीकरण, उदारीकरण के नाम पर कारपोरेट घरानों के अकूत मुनाफे के स्वार्थ में ही निजीकरण के रास्ते को खोल दिया गया है।

'संशोधन विधेयक 2010' को काला विधेयक करार देते हुए कॉमरेड मुखर्जी ने दावे के साथ कहा कि एक ओर जहाँ मजदूर हित-विरोधी इस विधेयक को रद्द करने की माँग पर कोल माइन्स फैडेरेशन के नेतृत्व में खान स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक संगठित आन्दोलन गठित करने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर मजदूर हितों की हिफाजत की निहायत जरूरत के तकाजे से तमाम मजदूर संगठनों को एकताबद्ध आन्दोलन के लिए आगे आना होगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की सभा

वेस्ट बंगाल आंगनबाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर 13 सितम्बर को कलकत्ता के मेट्रो चैनल पर राज्य के विभिन्न जिलों से आई दो हजार से ज्यादा कार्यकर्त्रियाँ और सहायिकाएं एक रोष प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने मांग की कि आईसीडीएस स्कीम का विस्तार किया जाये, निजीकरण की प्रक्रिया बन्द की जाए, आंगनवाड़ी केन्द्रों की अपनी इमारत हो, पोषाहार के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की जाये। और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सभा की अध्यक्षता अर्पणा माइति ने की। प्रमुख वक्ता थीं संगठन की राज्य सचिव माधवी पण्डित, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के राज्य सचिव एवं संगठन के अध्यक्ष दिलीप भट्टाचार्य और एआईयूटीयूसी के अखिल भारतीय सचिवमण्डल के सदस्य कॉमरेड अचिन्त्य सिन्हा। माधवी पण्डित के नेतृत्व में छः सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने विभागीय मंत्री को डेपुटेशन दिया। माननीय मन्त्री ने गौर से नेत्रियों की बात सुनी और सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

जन समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा

आरोन : विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं, बिजली बिल आरोन नगर पोस्ट ऑफिस में भी जमा होने की व्यवस्था करने, शहीद भगतसिंह पार्क बनाने, नगर में साफ-सफाई कार्यों व नालियों की मरम्मत, हर मौहल्ले में हर महीने फुहारा मशीन से डीडीटी का छिड़काव व आवारा मवेशियों का इंतजाम की माँगों को लेकर एसयूसीआई(सी), आरोन नगर प्रभारी कॉ. मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल एसडीएम से मिला और ये माँगें रखी। अंत में प्रमोद नामदेव द्वारा सब का आभार व्यक्त किया गया।

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 2 का शेष)

है वह केवल उस तक ही सीमित नहीं रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्य के व्यापारीकरण-निजीकरण के कारण जनजीवन असहनीय हो चुका है। हालांकि अभी मुख्य ध्यान केवल भ्रष्टाचार पर ही है। इन सभी समस्याओं के संचित प्रभाव ने उनमें आक्रोश पैदा कर दिया है। इसीलिए वे पूरे जोशो-खरोश और आवेग के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए नहीं कि अन्ना ने ऐसा कहा। अन्ना का आह्वान काफी महत्व रखता है लेकिन लोगों के दिलों में एक गहरा दर्द तथा तड़प मौजूद है जो उन्हें इस आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें समझना चाहिए। हमने यह अनुभव किया है। हमने जन-जीवन की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर देशभर में प्रदर्शन संगठित किये हैं। भ्रष्टाचार के अलावा हमने महँगाई, बेरोजगारी तथा जनवादी अधिकारों पर हमलों आदि के खिलाफ आवाज उठायी। हमारे नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कर्नाटक में हम ऐसे विरोध प्रदर्शनों को विशाल स्तर पर आयोजित कर पाये। ऐसा इसलिए कि वहाँ एक राजनैतिक शून्यता है। वहाँ पर तथाकथित वामपंथी पार्टियां काफी कमजोर स्थिति में हैं और कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। वहाँ बहुत जिलों में हुए हर प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उन जिलों में भी जहाँ हमने हाल ही में काम शुरू किया है, वहाँ भी लगभग 1500-2000 की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इन विरोध प्रदर्शनों की सबसे आकर्षक विशेषता यह थी कि इनमें छात्र-नौजवानों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। यह वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तो हमें यह जाँचना होगा कि आंदोलन की मांग लोकतान्त्रिक है कि नहीं और दूसरी बात यह है कि भारी तादाद में लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। अर्थात आन्दोलन का मास कन्टैन्ट है या नहीं। अगर हम इन दोनों मापदण्डों का प्रयोग करें तो वर्तमान आंदोलन निःसंदेह एक लोकतान्त्रिक आंदोलन है।

एक सवाल उठता है कि क्या केवल कानून बनाने से ही समस्याएं हल हो जायेंगी? भारत में ऐसा कोई अपराध नही है जो 'भारतीय दंड संहिता' के अन्तर्गत न आता हो और जिसके लिए कोई दंड निर्धारित न हो। जो लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि कानून में दिये गये इन सब प्रावधानों के बावजूद भारत में अपराधों की दर घट नहीं रही है बल्कि खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। केवल कानून बनाकर वांछित फल नहीं पाया जा सकता है। राज्यसत्ता के विभिन्न अंग जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो कानून को लागू करते हैं, और कई बार कुछ व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं अगर वे भी भ्रष्ट हो जायें, तो कानून बनाने से क्या हासिल होगा? यहाँ तक कि आप अगर मृत्युदण्ड जैसे सबसे कठोर कानून बना दें, तब भी अगर स्थिति यही रहती है, तो भ्रष्टाचार होगा ही। ऐसा इसलिए कि राज्यसत्ता के जो अंग कानून लागू करते हैं, वे सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। पुलिस तो पूरी तरह से भ्रष्ट है। आप वर्तमान पुलिस व्यवस्था को बदल नहीं सकते। वह केवल एक क्रान्ति के द्वारा ही सम्भव है। लेकिन पुलिस के भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगानी होगी। आप एक एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उसे आसानी से दर्ज नहीं करती है। अगर वह दबाव में आकर करगी भी, तो इस प्रकार दर्ज करेगी कि अपराधी आसानी से बचकर निकल जाये। वे रात-दिन आपराधिक मुकदमों को सम्भालते हैं और उन्हें पता है कि एफआईआर में कैसे ऐसे छिद्र छोड़े जायें जिनमें से अपराधी साफ बचकर निकल जाये। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्टों को प्रभावित करने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सेन पर महाअभियोग चलाया गया। जस्टिस बालकृष्णन को पद से हटाया गया। यह सूची लम्बी है। श्री शांतिभूषण ने भ्रष्ट मुख्य न्यायाधीशों की एक सूची तैयार की है। अगर यह हाल है, तो न्याय पाने की आशा कहां से की जा सकती है?

टीम अन्ना द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल बिल के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र में लोकपाल की एक संस्था स्थापित करने के साथ-साथ उसी तर्ज पर हर राज्य में एक लोकायुक्त की स्थापना का भी प्रस्ताव लाया गया है। कर्नाटक में लोकायुक्त संस्था का नेतृत्व श्री संतोष हेगड़े करते हैं। यह संस्था वहां पर अन्ना के आंदोलन से पहले ही अस्तित्व में थी। कर्नाटक में हमारी पार्टी ने कई स्थानों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सभाएं आयोजित की हैं। जहां पर जस्टिस संतोष हेगड़े एक वक्ता थे। टीम अन्ना ने हर राज्य में लोकायुक्तों की स्थापना का सुझाव दिया है। ये सुझाव माने जाएंगे या नहीं–यह अलग बात है। उन्होंने जनलोकपाल बिल की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। सामान्यतः सीबीआई और पुलिस का काम होता है तफ्तीस करना, निगरानी करना तथा मुकदमा दायर करना। टीम अन्ना जिसके पास शांतिभूषण और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकीलों की कानूनी सलाह की सुविधा है, उसने ठीक ही यह प्रस्ताव रखा है कि लोकपाल और लोकायुक्तों के पास जांच करने और अभियोग चलाने की शक्तियाँ हों। न्यायालय पहले ही की तरह मुकादमों का फैसला करेंगे। यह प्रस्ताव रखा गया है कि लोकपाल को जांच करने तथा अभियोग चलाने की संपूर्ण प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार हो ताकि संस्थाओं की स्वतंत्रता तथा तटस्थता को सुनिश्चित किया जा सके। टीम अन्ना के अनुसार यह कानून के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। टीम अन्ना का कहना है कि पुलिस व सीबीआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। टीम अन्ना के ये सुझाव काफी समझदारी भरे हैं। संसद के समक्ष उनके द्वारा रखा गया जनलोकपाल बिल इन दोनों ही पहलुओं को छूता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रधानमंत्री का पद, न्यायपालिका तथा केन्द्र सरकार में कनिष्ठ अधिकारियों को भी लोकपाल बिल के दायरे में लाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टीम अन्ना ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि उच्च न्यायपालिका को लोकपाल बिल के दायरे में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सरकार अलग से 'ज्यूडिशियल एकाउन्टेबिलिटी बिल' संसद में विचार करने के लिए ला रही है। हालांकि प्रधानमंत्री व कनिष्ठ अधिकारियों को लोकपाल बिल में शामिल करने की मांग पहले सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई। बाद में सरकार ने आन्दोलन के दबाव से कनिष्ठ अधिकारियों को शामिल करने की मांग मान ली। वास्तव में भ्रष्टाचार कनिष्ठ अधिकारियों के स्तर तक व्याप्त है। एक सिटीजन चार्टर बनाने की भी मांग है अर्थात् एक स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि कोई कार्य कितने दिनों में पूरा होगा तथा किस अधिकारी के द्वारा होगा और अगर निश्चित समय में पूरा न हो तो उसके लिए दण्ड भी निर्धारित करना होगा। निस्संदेह यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है।

टीम अन्ना ने एक और मांग उठाई है कि संविधान में ''राइट टू रिकॉल'' अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार को समाहित किया जाए। यह माँग हमारी पार्टी द्वारा सन् 1952 से ही उठाई गई है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि यह ''राइट टू रिकॉल'' तभी कारगर होगा जब लोगों की चेतना का स्तर उन्नत हो तथा वे सचेत रूप में संगठित हों। टीम अन्ना की यह मांग काफी जायज़ है। हमें इन मांगों में कुछ भी अतार्किक नहीं लगता बल्कि ये काफी युक्तिसंगत हैं। क्या किसी विचार से भी यह मांग अलोकतांत्रिक या फासीवादी तत्व रखती है। टीम अन्ना व्यवस्था परिवर्तन की बात भी कर रही है। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस व्यवस्था को बदलना है और कैसे। हम कहते हैं कि यह पूंजीवादी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार को पनपाती है तथा पोषित करती है। वे इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ऐसा उनके किसी भी वक्तव्य या साहित्य से स्पष्ट नहीं होता है। जे.पी. का नारा भी 'सम्पूर्ण क्रान्ति' था। कई बार जे.पी. से इसको स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। पश्चिम बंगाल के शिउड़ी में हमारे एआईडीवाईओ के युवा सम्मेलन को उन्होंने कॉमरेड शिवदास घोष के साथ सम्बोधित किया था उसमें उनसे पूछा गया था कि 'सम्पूर्ण क्रांति' से उनका क्या मतलब है। जे.पी. ने किसी और अवसर पर इसे स्पष्ट करने का वादा किया। पूंजीवादी व्यवस्था में जिस प्रकार आम आदमी क्रांति की परिभाषा समझता है, अन्ना का भी इसके बारे में ऐसा ही विचार हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार हम मार्क्सवादी लोग क्रांति को समझते हैं वे भी ठीक उसी प्रकार समझेंगे–उनसे यह उम्मीद रखना कुछ ज्यादा ही हो जायेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्ना को बेवजह शोहरत दी जा रही है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। हम उन्हें कई दिनों से देख रहे हैं। उनका आचारण, उनकी नीति-नैतिकता की धारणा के अनुरूप है। वे एक ईमानदार और समर्पित व्यक्ति हैं। यह इसी बात से साबित हो जाता है कि 10 दिनों से वे दृढ़ता के साथ अपना अनशन कर रहे हैं। हम उनसे क्रांतिकारी समझदारी की उम्मीद तो नहीं कर सकते। उन्होंने जनता का भरोसा इस बात से जीता है कि वे एक दृढ़ संकल्प वाले और निष्ठावान व्यक्ति हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता भले ही किसी का उनके विचार से मतभेद हो। ये तथाकथित मार्क्सवादी बुद्धिजीवी जो 'मसीहा' आदि की बात उठा रहे हैं-उनकी यह बात बिल्कुल असंगत है। कोई ऐसा आंदोलन हो ही नहीं सकता जिसका एक नेता न हो। इसी तरह अगर नेता न हो तो इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं हो सकता। नेता अपनी अपील से लोगों में जज्बा पैदा कर देता है। दुनिया में ऐसा कौन सा विशाल और महान आंदोलन हुआ है जिसका कोई नेता न रहा हो? अगर किसी आन्दोलन में बहुत समानांतर नेता हों, तो वह आंदोलन भी बिखर जाता है और अन्त में निराशा पैदा कर देता है। ठीक है, अन्ना गांधीवादी हैं। आप तथाकथित कम्युनिस्टों ने कई सरकारें चलायी हैं। आपके वाम मोर्चा के 60 से ज्यादा सांसद रहे हैं। क्या आप इतने बड़े पैमाने का कोई आंदोलन निर्मित कर पाये? अगर टीम अन्ना ने यह आंदोलन खड़ा किया, तो इसमें गलत क्या है? इसकी तो प्रशंसा ही होनी चाहिए। ये तथाकथित वामपंथी पार्टियां हमेशा केन्द्र में सरकारों के साथ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन को बचाने के नाम पर इन्होंने ब्रिटिश शासकों के साथ 'जोशी-मैक्सवैल समझौता' करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्वासघात किया। कॉ. घोष ने बाद में दिखाया था कि अगर तब सीपीआई ऐसा करने की बजाए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को तेज करती, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए से आजाद होकर भारत सोवियत यूनियन के साथ और भी मजबूती से खड़ा हो सकता था और यह संभव भी था। जब इंग्लैण्ड दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह फंस चुका था, उसका सबसे कमजोर क्षण होने के कारण उस समय भी उनके शासन को भारत से उखाड़ फेंकना संभव था। लेकिन अविभाजित सीपीआई तत्कालीन परिस्थितियों को समझ नहीं पायी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने का हर संभव प्रयास करती रही। इसलिए तथाकथित वामपंथी शक्तियों से कोई भी मदद न मिलने के कारण सुभाषचंद्र बोस को देश छोड़कर जाना पड़ा। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व पर समझौतावादी बुर्जुआ को पूरा कब्जा कायम करने का अवसर मिल गया। उस समय की अविभाजित सीपीआई ने बोस को कोई सहयोग नहीं दिया वरन् उन्हें 'क्युस्लिंग' मतलब 'जापान का एक एजेंट' की संज्ञा दी थी। देश में फासीवाद लाने के प्रयास के खिलाफ जब जे.पी. के नेतृत्व में जनआंदोलन तेज हो रहा था, तब सीपीआई खुलेआम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के साथ हो गयी थी और सीपीएम छुपे तौर पर सरकार के साथ थी। आज भी इनका यही स्टैंड है। इनकी अब तक वही राजनीति चल रही है। इन्होंने इतिहास से कुछ सीखा भी नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ? अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाये तो इस आंदोलन से अलग-थलग रहकर वे जनता से ही अलग-थलग होते जा रहे हैं।

जे.पी. आंदोलन के समय में भी यही सवाल उठा था। हमारे कुछ समर्थकों ने भी यही सवाल रखा था कि इस आंदोलन के नेतृत्व में तो जनसंघ, कांग्रेस(ओ), बीएलडी आदि प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं। हमारे जैसी छोटी सी पार्टी इसमें क्या कर पायेगी? तब कॉ. घोष ने दिखाया था कि हमारी जितनी भी क्षमता है उसी से हम आंदोलन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे वरना हम आम जनता को इन दक्षिणपंथी पार्टियों की दया पर छोड़ देंगे और इन्हें आंदोलन को गुमराह करने का पूरा अवसर मिल जायेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जनआंदोलन में रहना चाहिए वरना आंदोलन गलत दिशा में चला जाएगा। जनआंदोलन

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 4 का शेष)

में अगर हम नहीं रहेंगे तो जनता को हम नेतृत्व कैसे देंगे?

अगर हमारी ताकत होती, तो बात कुछ और ही होती क्योंकि आज जो स्थिति है यह बहुत ही शानदारे और असाधारण है। पहले जब कोई रैली होती थी, तो अखबार, टेलीविजन यह प्रचार करते थे कि जनता को इससे कितनी तकलीफ होती है। यह बात आज नहीं हो रही है–यह बहुत सकारात्क बात है। अगर यह बात आम जनता के मन में आ जाये कि जब आम लोगों के हित में ही आंदोलन हो रहा है, तो आम लोगों को उससे क्या तकलीफ होगी। असल में उच्च वर्ग की तकलीफ और कुछ व्यक्ति जो गाड़ियों में चलते हैं उनकी ही तकलीफ को आम लोगों की तकलीफ के तौर पर दिखलाया जाता है। लोग जब उन समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर उतरे हैं जिन्होंने उनके जीवन को अत्यंत असहनीय बना दिया है, तो जिस आंदोलन में वे शरीक हुए हैं उससे उन्हें क्या परेशानी होगी? बुर्जुआ बुद्धिजीवी यह प्रचार करते हैं कि छात्रों को आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है, नौजवानों, शिक्षकों और किसानों को भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए तथा मजदूरों को तो आंदोलन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उत्पादन पूरा ठप्प हो जायेगा–यह सब प्रचार बकवास है। अगर यह दृष्टिकोण रहे, तो फिर राजनीति कौन करेगा? तब राजनीति आम जनता का नहीं, बल्कि केवल पूँजीपतियों के नुमाइन्दों, परजीवियों, यहाँ तक कि लूटेरों, अपराधियों और तस्करों आदि का ही क्षेत्र बनकर रह जायेगा। यह गलतफहमी भी इस आंदोलन ने अनजाने में तोड़ी है। जबकि अन्ना राजनीति के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहे हैं बल्कि आन्दोलन को राजनीति से मुक्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असंदिग्ध रूप से एक राजनीति इससे उभर कर आ रही है। आम जनता इसमें आ रही है। इसको एक सुसंगत भाषा (articulation)में वाणी देने और सही राजनैतिक ढंग से पेश करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए और हम प्रयास कर भी रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे स्वर्णिम लक्षण है छात्र-नौजवानों का भावनात्मक तथा स्वत:स्फूर्त ढंग से इसमें जुट जाना। यह क्रांति के लिए बड़ा ही उज्ज्वल पक्ष है। इसको कैसे दिशा दी जाये यह हमें चर्चा करनी है।

कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी यह बात उठा रहे हैं कि अन्ना को मसीहा बना दिया गया है। तब मैं पूछता हूँ कि इससे क्या गलत हो गया? उन्हें नहीं तो क्या तुम्हें मसीहा बनाना चाहिए था? अन्ना भले ही एक गांधीवादी हैं, पर उनका एक ठोस चरित्र तो है। अगर एक गांधीवादी व्यक्ति नेतृत्व में आ गया, तो आपकी ही कमजोरी के कारण तो आया। इस परिस्थिति में, जहाँ सभी बुर्जुआ व पेटी बुर्जुआ पार्टियों पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। इस आन्दोलन के महत्वपूर्ण नेता के रूप में एक व्यक्ति उभर कर आया है। लेकिन व्यक्तिगत नेतृत्व आन्दोलन को बिल्कुल निचले स्तर से एक सुसंगठित रूप में खड़ा करने में सक्षम नहीं है। अगर लोग सचेत रूप में संगठित न किये जाएं, तो इस प्रकार का स्वत:स्फूर्त ढंग का आन्दोलन, जिसमें असंगठित लोगों का हजूम हो, लम्बे समय तक टिक नहीं सकता, खासकर राजसत्ता के आक्रमण के सामने तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी क्रान्तिकारी शक्ति को इस आन्दोलन में हिस्सा लेना चाहिए और इसे एक संगठित रूप देने का प्रयास करना चाहिए।

अगर देशभर में वामपंथी व लोकतांत्रिक आंदोलन निरंतर चलता रहता, तो दक्षिणपंथी ताकतें इस पर कैसे नेतृत्व कायम कर सकती थीं? अपनी किशोरावस्था में जब हम आंदोलन व पार्टी से जुड़े उस समय केवल दो ही पार्टियों, कांग्रेस और सीपीआई का बोलबाला था। जनसंघ जो 1950 में बननी शुरू हुई, वह बहुत ही छोटी पार्टी थी। बीएलडी, आरजेडी, टीडीपी, बीएसपी आदि क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में ही नहीं आयी थी। उसी सीपीआई का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि अगर तमिलनाडू में डीएमके तथा आंध्र प्रदेश में टीडीपी के कंधों पर न चढ़े होते, तो इन्हें कुछ भी सीटें नहीं मिलती। जबकि आंध्र प्रदेश में 1962 में उसने सरकार बनाने का प्रयास किया था। ऐसी ही स्थिति तमिलनाडू में भी थी। वामपंथी आंदोलन सिकुड़ते-सिकुड़ते आज इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस विशेष आंदोलन में अन्ना एक नेता के रूप में उभर कर आ गये। इसमें कसूर किसका है? क्या यह वामपंथी ताकतों का कसूर नहीं है? हमारी भी इसमें एक भूमिका है लेकिन यह हमारी वस्तुगत तथा ऐतिहासिक सीमाबद्धता है। कॉमरेडों को इसे गहराई से समझना होगा और पार्टी को मजबूत करना होगा। लेकिन यह एक वास्तविकता है कि हम बढ़ रहे हैं। आज यह समझना बड़ा मुश्किल है कि सीपीआई उस जमाने में कितनी बड़ी पार्टी थी। स्टालिन, माओ त्से-तुंग, हो ची मिन्ह उस समय जिंदा थे। इस पार्टी को इनसे मान्यता मिली हुई थी। सीपीआई सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है–तब लोगों को यह विश्वास दिलाना बड़ा ही जटिल काम था। आज भी ये पार्टियां आकार में हमसे बड़ी हैं, पर प्रक्रिया क्या है? रुझान क्या दिखाई दे रहा है? वे घट रही हैं और हम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे हमें आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और न ही इसका अहंकार होना चाहिए। हम जिस संघर्ष से यहां तक पहुंचे हैं उसे ध्यान में रखते हुए उसे और भी तेज करना चाहिए।

अब मैं इस आंदोलन में जो सीमाबद्धताएं हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह बड़ा ही मददगार व एक जनवादी आंदोलन है। इसमें जनता का योगदान महान और शानदार है। हमें यह समझना चाहिए ताकि हम जनता में रहकर उनके आंदोलन को सही दिशा दे सकें। कैसे और क्या दिशा देनी है–इस पर हम बाद में आयेंगे। लेकिन अगर सीमाबद्धताओं का स्वरूप समझ में आ जाये, तो हम दिशा देने के तरीके और लाइन को भी समझ जायेंगे। इस आंदोलन की एक बड़ी सीमाबद्धता है इसमें उठाये गये नारे। उदाहरण के लिए 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' जैसे नारे। यह प्रेस द्वारा भी दिखाया गया है। हालांकि वे इस आंदोलन के श्रेय को कम करने की मंशा से ऐसा कर रहे हैं। इस विषय को हमें इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर दक्षिणपंथी ताकतें नेतृत्व में हों, तो यह होना लाजिमी है। मुस्लिम कभी भी 'वंदे मातरम्' की सराहना नहीं कर पाय। भले ही उसमें देशभक्ति का तत्व हो, पर वह हिन्दू पुनरुत्थानवादी विचार से जन्मा है। हालांकि उसका जन्म कैसे हुआ यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने इसे इसी रूप में समझा है क्योंकि आरएसएस ने हमेशा से इस नारे का प्रयोग किया है। दूसरे नारे 'भारत माता की जय' में राष्ट्रीय कट्टरपन का बीज अन्तर्निहित है। हमें इन प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के लिए इस तथ्य को गहराई से समझना होगा। लेकिन हम केवल जनता के साथ रहकर और लोगों के मनोभाव को गहराई से समझकर ही इससे लड़ सकते हैं। आंदोलन के साथ एकात्म होने की प्रक्रिया में हमें इन कमजोरियों को दूर करना होगा। ये सब जो नारे 'वंदे मातरम्', 'भारत माता की जय' और खासकर यह गाना 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम' जो वहां गाया जा रहा है यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की अवधारणा के बिलकुल खिलाफ है। लेकिन गांधीजी के अनुयायी से इसके सिवाय और क्या उम्मीद की जा सकती है।

द्वितीयत:, यह भी तथ्य नहीं है कि अन्ना अकेले नेतृत्व में हैं। अन्ना की स्थिति भी लगभग गांधीजी जैसी ही है। गांधीजी को आंदोलन के नेता के रूप में दिखाया जाता था जबकि कांग्रेस के अन्य नेता पार्टी को चलाते थे। इस आंदोलन में भी एक ऐसा ही रूप दिखायी दे रहा है यद्यपि कोई पार्टी नहीं है। पर्दे के पीछे से काम करने वाले टीम अन्ना के सदस्य जिनके पास जरूरी काबिलियत व बुद्धिमत्ता है, वे इन लोकप्रिय नारों के जरिए आंदोलन की गति बनाये रखना चाहते हैं। टीम अन्ना के सदस्य ही वास्तव में आंदोलन के पीछे का वास्तविक दिमाग हैं। अन्ना को नेता के रूप में दिखाया जाता है क्योंकि वे एकता के प्रतीक हैं। ये लोग वामपंथी आंदोलन की कमजोरी के कारण ही नेता बन पाये हैं। हाल ही में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये लोग आरक्षण-विरोधी हैं और इसी वजह से दलित तथा पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये सब बातें आंदोलन का श्रेय घटाने और इसे कमजोर करने के लिए उठायी जा रही हैं। जो तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं, दरअसल वे खुद ही बदनाम हो रहे हैं और जनता से कटते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये लोग क्रांति व आंदोलन के बारे में बात तो करते हैं लेकिन क्रांति के बारे में समझते कुछ नहीं हैं। उन्होंने कभी भी क्रांतिकारी जीवन जीया ही नहीं है, तो आंदोलन चलाने के बारे में इनकी समझदारी क्या होगी? ये लोग जनता की नब्ज को कैसे समझेंगे? लोगों के मन को समझना सच्चे कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी कला व सम्पदा है। इस सम्पदा को हासिल करने के बाद ही वे लोगों को लामबंद करने और उनको नेतृत्व देने की क्षमता हासिल कर पाते हैं। इन आलोचकों ने इस प्रक्रिया को इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब अव्यवहारिक कम्युनिस्ट (Sophisticated communists) हैं, जो यूनिवर्सिटी डिग्रियों से कम्युनिस्ट बने हैं। इन्होंने व्यक्तिवाद से कठिन संघर्ष की आग में तपकर पक्के कम्युनिस्ट बनने की सही प्रक्रिया कभी अपनायी ही नहीं। ये लोग केवल किताबी पण्डित हैं। इनका जीवन की सच्चाइयों से कोई वास्ता न रहने से ये लोगों से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। इनके असली चरित्र को समझना ज़रूरी है।

इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमने पहले से ही सभी राज्यों में पार्टी कॉमरेडों को निर्देश दिये हैं कि इस आंदोलन में रहो, इसे मजबूत करो और खुद इस आंदोलन को तैयार करने का प्रयास करो। जहां कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं वहां लोगों को जुटा कर प्रदर्शन करो। लोगों का रिस्पोन्स बहुत अच्छा है। तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात या आंध्र प्रदेश जहां भी हमारे पार्टी कॉमरेडों ने पहलकदमी की, हर जगह हमें जबरदस्त रिस्पोन्स मिला है। आपकी उचित समझदारी के लिए एक ओर विशेष निष्कर्ष आपके समक्ष रखना जरूरी है। वह यह है कि जहां भी सीपीएम सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में थी, वह चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या फिर त्रिपुरा हो, वहां यह आंदोलन स्वत:स्फूर्त व विशाल चरित्र हासिल नहीं कर पाया। वहां जो भी आन्दोलन हुआ, हमारी ही पहलकदमी के कारण हुआ। इससे हम क्या पाते हैं? यही कि इन पार्टियों ने वहां एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोग आंदोलन के प्रति ही उदासीन व निष्क्रिय हो गये हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में एक भयानक बाढ़ की स्थिति थी जिसमें 50 लोग मारे जा चुके हैं। इसने भी वहां एक भूमिका अदा की है। लेकिन केरल में तो ऐसी स्थिति नहीं है। केरल में अब तक केवल हमारी पार्टी ने ही विरोध प्रदर्शन संगठित किये हैं। हमारी पार्टी की केरल राज्य इकाई ने कोचीन में 26 अगस्त को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सभा करने का कार्यक्रम लिया है। इसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर के मुख्य वक्ता होने की सम्भावना है। इस विषय में अखबार में पहले से ही उनकी ओर से एक सुंदर लेख आ चुका है। हमने खासकर दो विषयों पर निर्देश दिये हैं। पहला, हमें इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। जहाँ भी संभव हो नुक्कड़ सभाएं व जनसभाएं करते हुए और पर्चों व नारों आदि के माध्यम से हमें लोगों को भ्रष्टाचार का मूल कारण समझाना चाहिए। निस्संदेह हमें 'इंकलाब जिंदाबाद', 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जनआंदोलन तेज करो', 'जनवादी अधिकारों पर हमला रोको' आदि नारे देने होंगे। हमने ये नारे क्यों उठाये हैं? माहौल को बदलने के लिए हमें धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नारे देने होंगे। भ्रष्टाचार की वास्तविक जननी मौजूदा शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था है–यह लोगों को समझाने के लिए हमें सभाएं करनी होंगी और साहित्य, पर्चे आदि वितरित करने होंगे। लेकिन केवल यह बताना ही पर्याप्त नहीं है कि पूंजीवाद भ्रष्टाचार का मूल कारण है। क्या केवल नारे लगाकर ही पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना संभव है? हरगिज नहीं। हमें यह दिखाना होगा कि बुर्जुआ विचार, सिद्धांत, मूल्यबोधों व नीति-नैतिकता की उनकी धारणा आज प्रतिक्रियावादी हो चुकी है और इसके सर्वव्याप्त व असमाधेय संकट ने मिलकर जनजीवन को एक अनिश्चित

(शेष पृष्ठ 7 पर)

दिल्ली में पानी के निजीकरण के खिलाफ जन सम्मेलन

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा पानी के निजीकरण तथा व्यापारीकरण करने की घोषणा के खिलाफ 'पानी के निजीकरण–व्यापारीकरण प्रतिरोध कमेटी' (शालीमार बाग इकाई) द्वारा एक जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इलाके कें नागरिकों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। सभा को एसयूसीआई (सी) की राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. हरीश त्यागी के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने सम्बोधित किया। कमेटी की ओर से पानी के निजीकरण–व्यापारीकरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया जो सर्वसम्मति से पास हुआ। संगठन की 25 सदस्यीय शालीमार बाग कमेटी गठित हुई जिसकी अध्यक्षा मीनू तलवार, सचिव नीतु खन्ना तथा सह–सचिव सुमन चुनी गई और घोषणा की गई कि पानी के निजीकरण–व्यापारीकरण के खिलाफ इलाके में 7 अक्टूबर को विरोध मार्च का कार्यक्रम लिया जाएगा।

आंगनबाड़ी कर्मियों का उ.प्र. मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

कानपुर (उ.प्र.): आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उ.प्र. की राज्य इकाई के आह्वान पर कानपुर जिला इकाई द्वारा 19 सितम्बर को मांग दिवस मनाया गया। जिले के विभिन्न ब्लाकों से आई सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं सहायिकाएं शिक्षक पार्क (परेड) में उपस्थित हुई। इसके बाद जुलूस फूल बाग (माल रोड) पहुँचा। जहाँ पहुँचकर यह एक सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता यूनियन की प्रदेश अध्यक्षा लता शर्मा ने की तथा जिला अध्यक्षा कॉ. हीरावती ने सभा का संचालन किया। सभा को मनोरमा सचान, सुमन मिश्रा, मंजू शर्मा, रमा कान्ती श्रीवास्तव, माया देवी आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, एआईयूटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. राजबली, उपाध्यक्ष कॉ. धर्मदेव एवं सहायक सचिव का. वालेन्द्र कटियार ने भी सम्बोधित किया। अन्त में ए.डी.एम. (सिटी) सभा स्थल पर आए जिन्हें एक 12 सूत्री ज्ञापन मुख्यमन्त्री उ.प्र. को भेजने के लिए सौंपा गया।

आंगनबाड़ी कर्मियों ने जूलुस निकाला

मुरादाबाद: 19 सिम्बर को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसियेशन की जे पी नगर इकाई के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलैक्ट्रेट पर जुलूस निकाला और अपनी माँगों को लेकर उनकी मार्फत मुख्यमंत्री, उ. प्र. के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी नारे लगा रही थी, आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, आईसीडीएस स्कीम में भ्रष्टाचार खत्म किया जाये, इसमें पंचायत प्रधानों का हस्तक्षेप बंद किया जाये, पक्के आगनबाड़ी सेंटरों का निर्माण किया जाए और पोषाहार की गुणवत्ता व लागत राशि बढ़ाई जाए।

मुख्य वक्ता के रूप में आंगनबाड़ी एम्पलाइज फैडरेशन ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश चाहल के अलावा एसोसियेशन की प्रदेश उपाध्यक्षा संतोष गुर्जर व जिला अध्यक्षा सत्यबाला चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया।

भूल सुधार

पिछले अंक में पृष्ठ 4, प्रथम कॉलम, चौथी लाइन में लिखा गया है ''उनसे मैं सहमत हूँ'' की जगह ''उनसे मैं असहमत हूँ '' होना चाहिए था। गलती के लिए हमें खेद है।

'शिक्षा बचाओ, मानवता बचाओ' के रूप में मनायी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जयंती

पटना : भारतीय नवजागरण के अग्रदूत ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जयंती ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टुडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने देश व्यापी 'शिक्षा बचाओ, मानवता बचाओ' के रूप में मनायी। शिक्षा के निजीकरण–व्यापारीकरण, पी.पी.पी. नीति, शिक्षकों की भारी कमी, शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन कर एक स्मार पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन के लिए गाँधी मैदान से एक जुलूस गगनभेदी नारों के साथ निकला जो विभिन्न मार्गों से होते हुए आर. ब्लॉक चौराहा जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन की राज्य अध्यक्षा साधना मिश्रा, राज्य सचिव सूर्यकर जितेन्द्र, राज्य उपाध्यक्ष उमाशंकर वर्मा, अनामिका, राज्य सचिव मंडल सदस्य अनिल कुमार, आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, विकास कुमार, लाल कुमार आदि ने वक्ताओं ने सम्बोधित किया।

राज्यपाल को बारह सूत्री मांगों का एक स्मार पत्र सौंपा गया जिसमें शिक्षा के निजीकरण–व्यापारीकरण पर रोक लगाने, शिक्षा के क्षेत्र में पी.पी.पी. नीति रद्द करने, हर स्तर पर शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने, शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने, शिक्षा में व्याप्त अराजकता व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, ग्रेडिंग व नो डिटेंशन पद्धति पर रोक लगाने, सेमेस्टर प्रणाली पर रोक लगाने, जनवादी तरीके से छात्र संघ चुनाव कराने, अश्लील सिनेमा–साहित्य–विज्ञापन, नशाखोरी पर रोक लगाने, स्कूली स्तर पर यौन शिक्षा लागू करने का प्रस्ताव रद्द करने, आंदोलनकारियों पर से झुठे मुकदमें वापस लेने, टाउन डीएसपी रमाकांत प्रसाद को बर्खास्त कर दंडित करने की मांग की गयी।

पास–फेल प्रथा हटाने का विरोध

उड़ीसा में सफल छात्र हड़ताल

उड़ीसा के स्कूल कॉलेजों में व्यापक संख्या में खाली पड़े पदों पर अध्यापक भर्ती करने की मांग पर, आठवीं कक्षा तक पास–फेल प्रथा हटाने और हर कॉलेज में बेतहाशा विकास फीस बढ़ोतरी के खिलाफ 9 सितम्बर को ए.आई.डी.एस.ओ. के आह्वान पर पूरे उड़ीसा में छात्र हड़लात की गई। उड़ीसा सरकार ने पिछले 21 साल से कोई भी पूर्णकालिक स्थायी नियुक्ति नहीं की है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू करके सातवीं कक्षा तक बोर्ड परीक्षा और 9वीं कक्षा तक पास–फेल प्रथा हटा दी गई है। नतीजतन, उड़ीसा की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाने के हालात पैदा हो गए हैं। इसके खिलाफ लोगों का विक्षोभ लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में ए.आई.डी.एस.ओ. ने उड़ीसा में सर्वत्र शिक्षा संस्थाओं में आन्दोलन शुरू कर दिया। शिक्षक भी इस आन्दोलन में एकताबद्ध ढंग से हिस्सा लेते रहे। 17 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले दिन शिक्षक, शिक्षाकर्मी और उनके परिवार वाले व रिश्तेदार विधानसभा के बाहर अनशन पर बैठ गए। इसके समर्थन में ए.आई.डी.एस.ओ. ने इस दिन छात्रों को जुटाकर रोष प्रदर्शन किया। छात्रों और शिक्षकों ने एक विशाल जुलूस निकाला और एक प्रतिनिधि मण्डल ने उच्च एवं जन शिक्षामंत्री से मिलकर इस समस्या को तुरन्त हल करने की मांग की। 9 सितम्बर को छात्र हड़ताल के दिन उड़ीसा के विभिन्न जिलों में हड़ताल के समर्थन में छात्र–छात्राएं स्कूल–कॉलेजों से बाहर आकर जुलूस में शामिल हुए और रास्ता रोका, प्रशासनिक दफ्तर पर डेपुटेशन दिया। कटक के रेवेंशा विश्वविद्यालय व दूसरे कई प्रख्यात कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित पूरे राज्य भर के स्कूल–कॉलेजों में हड़ताल का व्यापक असर पड़ा।

भूमि अधिग्रहण कानून–2011 के विरोध में आरडीसी के समक्ष धरना

कटक: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विभिन्न जनमंचों के आह्वान पर समस्त उड़ीसा विरोध दिवस मनाने के लिए 20 सितम्बर को आरडीसी, सेन्ट्रल डिवीजन, कटक के समक्ष उड़ीसा जल सुरक्षा जनमंच आदि द्वारा एक धरना दिया गया और आरडीसी की मार्फत राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर पाबन्दी लगाने, नदी जल व भूजल को विशिष्ट तौर पर मानव उपयोग व कृषि के लिए संरक्षित करने और कॉरपोरेटों द्वारा किये जा रहे भूजल के दोहन पर रोक लगाने की मांग की। विरोध सभा की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष अक्षय दास ने की। संगठन के महासचिव विश्वबासु दास, सह–संयोजक चित्त मोहन्ती, पूर्व विधायक विजय नायक सहित कई जाने माने लोगों ने सभा को सम्बोधित किया।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ धरना

इलाहाबाद: महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, अश्लीलता व अपसंस्कृति के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के बैनर तले महिलाओं ने 9 सितम्बर को जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। धरने में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। आल इण्डिया एम एस एस की प्रदेश संयोजिका रश्मि मालवीय ने कहा कि महिलाओं पर हो रहा अत्याचार असहनीय हो गया है। केन्द्र व राज्य सरकारों ने अपनी आँखें बन्द कर रखी हैं और अत्याचार को बढ़ावा दे रहीं हैं। सरकारों ने अश्लीलता का ताना बाना इस तरह बुन दिया है कि महिलाएं उपभोग की वस्तु बना दी गईं हैं और अपसंस्कृति ने लोगों को दबोच लिया है। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए महिलाओं को ही खुद उठ खड़ा होना होगा और एक जुझारू महिला आन्दोलन का निर्माण करना होगा।

धरने को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर संगठन की अध्यक्षा लता शर्मा, लखनऊ की वन्दना मौर्य, सुल्तानपुर की जिला अध्यक्षा ऊषा सिंह, जौनपुर की शान्ति मौर्य, राजेश्वरी देवी, कल्याणी राय चौधरी आदि ने भी सम्बोधित किया। संचालन लता सुमन द्वारा किया गया। स्तुति सिंह ने धरना स्थल पर जिलाधिकारी इलाहाबाद के माध्यम से मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश को सौंपा जाने वाला ज्ञापन पढ़कर सुनाया।

भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा

सेमेस्टर प्रणाली, फीसवृद्धि व शिक्षा के निजीकरण–व्यापारीकरण के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्टस ऑर्गेनाइजेशन(एआईडीएसओ) जिला सागर के एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल के नाम 26 सितम्बर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में कॉ. रामसिंह कुशवाहा, रमेश अहिरवार, जयश्री चढ़ार, रेखा चौरसिया, रचना सोनी, दीपशिखा, अरविंद पटेल आदि छात्र शामिल थे।

बढ़ते पुलिस दमन के खिलाफ नागरिक धरना

पटना : जन आंदोलनों पर बढ़ते पुलिस दमन के खिलाफ 19 सितम्बर को दिनकर गोलम्बर, नाला रोड पर आयोजित नागरिक धरने में लंगरटोली गली, नाला रोड पर पुलिस दमन के लिए जिम्मेवार टाउन डीएसपी रमाकांत प्रसाद सहित अन्य दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने, आंदोलनकारी छात्र–युवाओं एवं महिलाओं पर लादे गये झूठे मुकदमे वापस लेने, जन आंदोलनों पर पुलिस दमन बंद करने तथा पुलिस एवं नौकरशाही के जनतंत्रीकरण के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की गयी।धरने की अध्यक्षता अक्षय कुमार, नन्द किशोर सिंह, किशोरी दास, कंचन बाला और साधना मिश्रा को लेकर बने अध्यक्ष मंडल ने की। धरने को प्रो. ईश्वरी प्रसाद, प्रो. देवेन्द्र प्रसाद, प्रो. विनय कुमार कंठ, प्रो. संतोष कुमार, प्रो.भारती एस. कुमार, प्रो. सुशीला सहाय, डॉ. सुदेश प्रसाद, प्रो. आशीष रंजन, डा. ए. के. गौड़, भूपेन्द्र कुमार, वकील ठाकुर, इंदिरा देवी, मोना, लक्ष्मी देवी, अरुण कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया।

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 5 का शेष)

भविष्य की ओर धकेल दिया है। जिसने येन-केन प्रकारेण सम्पत्ति एकत्रित करने की एक बदहवास दौड़ शुरू कर दी है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए नीति-नैतिकता की एक नई धारणा चाहिए। क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, जन आक्रोश व विक्षोभ होना ही पर्याप्त है? निस्संदेह भ्रष्टाचार के खिलाफ जनआक्रोश व विक्षोभ आन्दोलन को गठित करने में मदद करता है और एक बड़ी जबरदस्त भूमिका अदा करता है, पर केवल जनआक्रोश व विक्षोभ ही भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर ही भ्रष्टाचार को जड़से मिटाया जा सकता है। लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था में भी अगर लोग एक गैर-समझौतावादी संघर्ष चलाएं और उन्नत नीति-नैतिकता की धारणाओं को आधार करके आगे बढ़ें, तो भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन नीति-नैतिकता की यह नयी धारणा कौन देगा? जो लोग व्यक्तिगत मालिकाने की पुरानी व्यवस्था में विश्वास करते हैं वे यह नयी धारणा नहीं दे सकते। व्यक्तिगत मालिकाने पर आधारित नीति-नैतिकता व मूल्यबोधों की भूमिका समाज में नि:शेषित हो चुकी है। एक नई व उन्नत नीति-नैतिकता व नये मूल्यबोधों को वही वर्ग ला सकता है जो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक मालिकाना कायम करने के लिये संघर्षरत है और व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्थान पर सामूहिक सम्पत्ति लाना चाहता है। केवल सच्चे कम्युनिस्ट ही उत्पादन के साधनों पर सामाजिक मालिकाने के आध ार पर एक नयी तथा उन्नत नीति-नैतिकता व मूल्यबोधों की सृष्टि करने की क्षमता रखते हैं। सीपीआई., सीपीएम और नक्सलों जैसे नकली कम्युनिस्ट यह नहीं कर सकते। इस नयी धारणा का मर्म है सामूहिकतावाद, व्यक्तिवाद के खिलाफ संघर्ष।

ऐसा सोचना गलत है कि चूँकि पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति होने के बाद ही भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है इसलिए जब तक पूंजीवाद अस्तित्व में है तब तक हम इसके खिलाफ कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे या चल रहे आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। यह सही है कि जब तक पूंजीवाद अस्तित्व में है, भ्रष्टाचार की बुराई भी अस्तित्व में रहेगी ही लेकिन इस बुराई पर लगाम लगाने के लिए हमें इसके खिलाफ आंदोलन तेज करना होगा और आंदोलन सही दिशा में तभी अग्रसर होगा जब वह उन्नत नीति-नैतिकता के मूल्यों पर आधारित होगा और पूंजीवाद के खिलाफ दिशा निर्देशित होगा। केवल तभी लोगों के जीवन की ज्वलंत समस्याओं पर बहुत सारे आंदोलन एक साथ चलाते हुए आखिरकार एक दिन हम भ्रष्टाचार के उद्गम स्थान अर्थात् पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो पायेंगे। जनता में यह समझदारी फैलानी होगी। आज जब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। यह हमारे लिए बहुत बढ़िया अवसर है। जनता में इस विचार को फैलाने के लिए यही उपयुक्त समय है।

दूसरी बात यह है कि 16 अगस्त की सुबह जब अन्ना ने अपना आमरण अनशन शुरू भी नहीं किया था उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह केवल एक व्यक्ति अन्ना पर ही हमला नहीं था वरन् व्यक्ति अधिकारों, लोकतंत्र व लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला था। इसको रोकना होगा। सरकार की इस लोकतंत्र-विरोधी फासीवादी प्रवृत्ति के खिलाफ आंदोलन तेज करना होगा और व्यापक बनाना होगा। इसलिए आंदोलन में एक नया आयाम जुड़ गया है जिसको समझना होगा। शुरू में टीम अन्ना को जे.पी. पार्क नाम का एक छोटा स्थान दिया गया था और तीन दिन के लिए भूख हड़ताल करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, बाद में आंदोलन के दबाव से उन्हें एक बड़ा स्थान रामलीला मैदान दे दिया गया लेकिन केवल 15 दिनों की अनुमति के साथ। जब आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो सरकार ने समय सीमा तो बढ़ा दी लेकिन पाबन्दियाँ नहीं हटायी। कोई व्यक्ति कहां भूख हड़ताल करेगा? कितने लोगों के साथ और कितने दिनों तक करेगा–यह सब कुछ अगर पुलिस तय करेगी, तो फिर लोकतंत्र और व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार कहां हैं? यह घटना एक फासिस्ट राजसत्ता का लक्षण है। इसने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि यह सिर्फ एक पूंजीवादी राजसत्ता ही नहीं है, बल्कि यह फासीवादी चरित्र हासिल कर चुकी है। बहुत अर्सा पहले पिछली सदी के पचास के दशक के आखिर में कॉ. घोष ने यह दिखाया था। आज हम यह अनुभव कर रहे हैं कि कैसे भारतीय पूंजीवाद साम्राज्यवादी स्तर में पहुंच गया है और प्रशासनिक फासीवाद कायम कर दिया है। अगर आंदोलन तेज नहीं होता है और सरकार पर दबाव नहीं बनता है, तो इस फासिवादी राजसत्ता में जो भी शासक पूंजीपति वर्ग की सेवा करने के लिये सत्ता में आयेगा, वह निरपवाद रूप से जनआंदोलनों को इसी तरह कुचलेगा। कुछ छोटी-मोटी मांगों को मान लेने का मतलब यह नहीं है कि सरकार का रवैया बदल गया है। निश्चित रूप से नहीं। वास्तविकता यह है कि वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए सरकार थोड़ी सी झुकी है। परिस्थिति विस्फोटक मोड़ ले रही है। आज अन्ना की भूख हड़ताल का दसवां दिन है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। निस्संदेह वे अद्भुत सहनशक्ति वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन कितने समय तक ठीक रह पायेगी? वह किसी भी समय अचानक बिगड़ सकती है। सरकार भयभीत है। अगर किसी भी कारण से उनकी सेहत बिगड़ती है, तो लगभग एक ज्वालामुखी फटने की तरह जनता में एक भयानक गुस्सा फट पड़ेगा। सरकार को यह पता है कि अरब देशों में किस प्रकार लोगों ने अत्यंत शक्तिशाली नेताओं को भी सत्ता से हटा दिया। ऐसी परिस्थिति से भयभीत होने के कारण सरकार झुक रही है वरना यह सरकार की सामान्य प्रवृत्ति नहीं है। अन्ना ने लोगों से यह भी आह्वान किया है कि वे देशभर में गिरफ्तारियां देकर जेलों को भर दें और सांसदों के बंगलों का घेराव करें। उन्होंने काफी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह भी कहा है कि जेल जाना तो हमारी परम्परा है; यह तो हमारा भूषण है; इसमें अस्वाभाविक क्या है? हम तो कई बार जेल में गये हैं। लेकिन वे केवल कहने के लिए ही ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसको लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। सरकार इसलिए भी चिंतित है कि कहीं वास्तव में ऐसी परिस्थिति तैयार न हो जाये। टीम अन्ना द्वारा आज सुबह लिया गया कार्यक्रम भी सरकार के विचाराधीन है। टीम अन्ना ने कहा है कि 'अगर सरकार फिर से चर्चा करना चाहती है, तो उसे लिखकर देना होगा कि उसकी मंशा क्या है।' अगर ऐसा लगा कि सरकार की मंशा सही है, तो वे दोबारा चर्चा के लिए तैयार हैं। उनके द्वारा रखी गई दूसरी शर्त है: अगर शनिवार तक कोई हल नहीं निकला, तो वे सारे देश की जनता से यह आह्वान करेंगे कि यहां आकर दिल्ली को भर दें तथा जब तक मांगें नहीं मान ली जायें, तब तक वापिस नहीं जाएं। अगर ऐसा होता है और ऐसा होने की पूरी संभावना है, तो परिस्थिति भयंकर मोड़ ले लेगी जैसा कि कुछ राज्यों में पहले से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है, खासकर मुम्बई में जहां स्थिति काफी विस्फोटक है। अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है और अन्ना लोगों से दिल्ली आने का आह्वान करते हैं, तो लोग ज़रूर आयेंगे। हमारे काफी कॉमरेड निरंतर रामलीला मैदान में जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो दूर-दराज के इलाकों से आवश्यक खाद्य सामग्रियों के साथ अपने खुद के ट्रकों में आये हैं और अपना खर्च खुद वहन कर रहे हैं। अगर स्थिति इस तरह का मोड़ लेती है, तो दिल्ली लोगों से भर जायेगी, सब कुछ जाम हो जायेगा, यहां तक कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना को भी उतारना पड़ सकता है। ऐसी संभावना का पूर्वानुमान करते हुए सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है।

जो एक और सवाल उठाया जा रहा है उसके बारे में भी हमें उचित समझदारी बनानी होगी। वह यह है कि आंदोलन के जरिए प्रदर्शनकारियों की ही मांगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर करना क्या लोकतंत्र-विरोधी नहीं है? क्या यह सरकार पर मांगें थोपने जैसा नहीं है? जब भी हम कोई आंदोलन शुरू करते हैं, तो हम उसे इतना शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं कि सरकार को उन मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जा सके। जब हम कहते हैं कि जब तक मांगें नहीं मान ली जाती, तब तक हम आंदोलन वापिस नहीं लेंगे। क्या यह अलोकतांत्रिक है? क्या आंदोलन को चलाने का हमारा रवैया यह होना चाहिए कि मांगे मानी जाएं या नहीं, हम आन्दोलन को वापस ले लेंगे? तब फिर वह किस प्रकार का आंदोलन होगा? ये तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवियों की बातें हैं। वे इतना भी नहीं समझते हैं कि एक लोकतांत्रिक आंदोलन क्या होता है। सच्चा लोकतांत्रिक आंदोलन लोगों की न्यायसंगत मांगों पर विकसित होता है। जो मांगें न्यायसंगत हैं उनको मनवाने के लिए जोर डालना पड़ता है। अगर आंदोलन की मांगें कानूनसंगत न हों, तो यह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है। कॉमरेड घोष ने दिखाया था कि जब कभी किसी न्यायसंगत मांग के रास्ते में कानून अड़चन बन जाय और जब न्यायसंगतता व कानूनसंगतता में द्वंद्व हो जाये, तो इनमें से कौन सा प्रधान होगा और कौन सा गौण। ऐसे में जनता की न्यायसंगत मांग को प्रधानता देनी चाहिये। इसलिए हम जब यह कहते हैं कि यह मांग माननी ही होगी, तो ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह न्यायसंगत है। इसमें फासीवादी क्या है? ये लोग फासीवाद को समझते ही नहीं है। बल्कि उल्टे सरकार का रवैया ही फासीवादी है जो उसे जनता की न्यायसंगत मांगों को स्वीकृति देने तथा मानने से रोक रहा है। सरकार को किस बात ने अंधा बना दिया है? पूंजीवाद के प्रति उसके लगाव ने इसे अंधा बना दिया है। इसलिए न्यायसंगत व कानूनसंगत के ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और गहरी समझदारी की मांग करते हैं। सन् 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान कॉमरेड शिवदास घोष ने उस सरकार व पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के बीच फर्क दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कि जब एक बुर्जुआ सरकार सत्ता में होती है, तो वह जनता के आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस-प्रशासन का इस्तेमाल करती है। अगर एक पूंजीवादी देश में किसी राज्य या एकाधिक राज्यों में वामपंथी ताकतें सरकार में आती हैं, तो वे पूंजीवाद तथा पूंजीवादी राजसत्ता का मूल चरित्र तो नहीं बदल सकती, शोषण-दमन तो रहेगा लेकिन दमन को किस हद तक कम किया जा सकता है और किस हद तक न्यायसंगत लोकतांत्रिक आंदोलन को पुलिस के हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है इसका प्रयास करती है। संयुक्त मोर्चा सरकार का मुख्य जोर भी इस पर रहना चाहिए। इसलिए श्रम मंत्रालय जो हमारी पार्टी के पास था उसके जरिए कॉमरेड घोष के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने यह नीति प्रतिपादित व घोषित की थी कि मजदूरों के न्यायसंगत आंदोलन व जनआंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसे आंदोलनों में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर एक कारखाने में हड़ताल चल रही हो, तो क्या पुलिस तय करेगी कि दोषी मजदूर हैं या मालिक? यह पुलिस का काम नहीं है। जिस प्रकार हड़ताल आंदोलन का एक रूप है, घेराव भी एक अन्य रूप है। जहां मजदूर अपनी मांगें मनवाने के लिए मालिक को घेर लेते हैं। इस आंदोलन को शासक वर्ग द्वारा गैरकानूनी, खतरनाक व 'जंगल राज' की संज्ञा दे दी गई थी। कॉमरेड घोष ने कहा था कि अगर यह 'जंगल राज' है, तो पूंजीवादी शोषण का नियम तो 'घोर जंगल राज' है। विचारणीय विषय है कि यह न्यायसंगत है या नहीं? अगर न्यायसंगतता तथा कानूनसंगतता के बीच द्वंद्व हो, तो कानून को बदल कर न्यायसंगतता के अनुरूप बनाना होगा। तथाकथित प्रगतिशील लोगों के द्वारा फैलाये जा रहे ये सारे प्रचार भ्रामक व निराधार हैं। आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तथाकथित प्रगतिशील लोग वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था व सरकार की ही सेवा कर रहे हैं और सरकार को बचाने और उसके स्टैंड को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के न्यायसंगत आंदोलनों पर बुर्जुआ संसद की प्रधानता कायम करने का एक प्रयास हो रहा है और वह भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के नाम पर। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। जब इससे मार्क्सवाद बदनाम हो रहा है, तो इस प्रवृत्ति का पर्दाफास करना भी अत्यावश्यक है। सीपीएम वे सब तर्क सप्लाई कर रही है जो मनमोहन सिंह तथा प्रणव मुखर्जी भी नहीं दे पा रहे हैं। जो सब तर्क दिये जा रहे हैं वे तर्क केवल निराधार ही नहीं हैं, बल्कि जाने-अनजाने इनके द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सीपीएम के ये सब 'पण्डित' इस बुर्जुआ संसद के पैरोकार बन गये हैं। निस्संदेह एक पूंजीवादी व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है। उसके पास कानून

(शेष पृष्ठ 8 पर)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7-8 and 22-23 of Every Month

कनाडा में 'फॉर फ्रेण्डशिप एण्ड सोलिडेरिटी विद सोवियत पीपुल' का तीसरा सम्मेलन

कनाडा के टोरेन्टो शहर के फ्रेण्डशिप भवन में 9-11 सितम्बर को 'फॉर फ्रेण्डशिप विद सोवियत पीपुल' संगठन की पहल पर तीसरा विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में रूस आस्ट्रेलिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन से प्रतिनिधि शामिल हुए। संगठन के महासचिव माइकेल लुकास ने बाकायदा विश्व सम्मेलन की सूचना दी।

वर्तमान पूँजीवादी रूस में फिर दोबारा समाजवादी सोवियत यूनियन कायम करने के बारे में संगठन की कार्यकारिणी कमेटी के अन्यतम सदस्य एस.यू.सी.आई. (सी.) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने बात रखी।

इस प्रसंग में उन्होंने कहा कि प्रतिक्रान्ति के जरिए पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन का पतन होकर वहाँ पूँजीवाद पुनर्स्थापित हो गया है। किसी भी देश में पूँजीवाद को उखाड़ फेंककर कर समाजवाद कायम करने के लिए चाहिए पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति, इसके अलावा और किसी रास्ते की बात सोचना ही गलत है। यह विश्व साम्यवादी आन्दोलन के निर्विवादित नेता लेनिन की ही सोच है। लेनिन ने यह भी कहा था कि सही कम्युनिस्ट विचारधारा और सही कम्युनिस्ट पार्टी के बिना क्रान्ति सम्भव नहीं है। सही कम्युनिस्ट पार्टी को पहचान कर उस पार्टी के नेतृत्व में वर्ग संघर्ष चलाने के जरिए पूँजीवादी राज्यसत्ता को उखाड़ फेंककर ही समाजवाद कायम करना सम्भव है।

उन्होंने आगे कहा कि मार्क्सवाद ने सिखाया है कि क्रान्ति का निर्यात नहीं किया जा सकता; इसीलिए रूस की मेहनतकश जनता को ही इस मामले में प्रधान जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना होगा। हम अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से इस तरह के संगठन के जरिए रूस में समाजवाद वापस लाने के पक्ष में जनमत तैयार कर बाहर से मदद कर सकते हैं और यह हमें और भी अच्छी तरह करते जाना होगा।

हाल ही में नेपाल में फ्रेण्डशिप सोसाइटी के विस्तार की मिसाल पेश कर उन्होंने कहा कि वर्तमान में समाजवाद-विरोधी दुष्प्रचार की बाढ़ में भी विभिन्न देशों में समाजवाद के पक्ष में आम लोग सक्रिय हुए हैं। यह आशा की बात है। समाजवाद के पक्ष में बढ़ता यह आन्दोलन आगामी दिनों मानव मुक्ति की ओर एक निश्चित कदम है।

सोनिया विहार में जनसभा

दिल्ली के सोनिया विहार में 18 सितम्बर को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी द्वारा जनसभा की गई। सभा के मुख्या वक्ता पार्टी की दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. आर.के. शर्मा ने सरकार द्वारा की गई पेट्रोल व बिजली दरों में बढ़ोतरी और पानी के निजीकरण के खिलाफ सशक्त जन-प्रतिरोध गठित करने का आह्वान किया। सभा को नागरिक मंच के महासचिव कॉ. सौरन आजाद और एमएसएस की सचिव पुष्पा चमोली ने भी सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक श्री आनन्द मोहन शर्मा ने की।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) दिल्ली राज्य सचिव कॉ प्रताप सामल ने अपने सम्बोधन में लोगों से सरकारी कुनीतियों का एकजुट विरोध करने का आह्वान किया।

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 7 का शेष)

बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन संसद क्या है? यह बताया जाता है कि वह जन-प्रतिनिधियों की संस्था है, तो फिर जनता की जायज मांग को ये प्रतिनिधि स्वीकृति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर आप जनता के वोटों को बटोर कर चुनाव जीत जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ही जनता के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। जनता की चेतना का स्तर काफी निम्न होने के कारण पूंजीपतियों के प्रतिनिधि धनबल, बाहुबल, मीडिया के प्रचारबल व अन्य अनुचित हथकण्डों के सहारे चुनाव जीत लेते हैं और असल में पूंजीपतियों की ही सेवा करते हैं। आज संसद का यही प्रधान चरित्र है। संसद सदस्यों में ज्यादातर ऐसे ही हैं। एक क्रांतिकारी पार्टी की संसद में क्या ताकत है? हमारा केवल एक सांसद है। अन्य तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियाँ अन्दरखाने पूंजीपति वर्ग की ही सेवा में लगी हुई हैं।

कॉमरेड्स, ऐसी स्थिति है। इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें इस आंदोलन में रहना चाहिए और इसके ऐतिहासिक महत्व को गहराई से समझना चाहिए। हम आम लोगों को इन दक्षिणपंथी ताकतों की दया पर नहीं छोड़ सकते। यह एक वास्तविकता है कि हमारी शक्ति सीमित है, पर सोचना यह है कि इस सीमा को कैसे तोड़ा जाये और इससे कैसे पार पाया जाये? आंदोलन व लोगों में रहते हुए हमें उन्हें सही दिशा दिखानी होगी तथा अपनी ओर खींचना होगा। सन् 1975 में जे.पी. आंदोलन के दौरान हमारी पार्टी बहुत छोटी थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सीपीएम तथा सीपीआई मृत्यु की ओर अग्रसर हैं और धीरे-धीरे उनका क्षरण हो रहा है। सीपीएम-सीपीआई का वैचारिक दिवालियापन पश्चिम बंगाल तथा केरल में सिद्ध हो चुका है। इस आंदोलन में यह और भी साफ तौर पर सिद्ध हो रहा है। हमें जनता को शिक्षित करना होगा कि ऐसा इसलिए हुआ कि वे कभी कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी ही नहीं। आज हमारी पार्टी 20 राज्यों में काम कर रही है। कॉमरेड घोष द्वारा मुट्ठीभर सहयोद्धाओं को लेकर पश्चिम बंगाल में जो आंदोलन शुरू किया गया था वह पूरे देश में तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज यह काफी सुस्पष्ट है कि हमारी पार्टी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है कि हम ही एक नई और वह ऐतिहासिक दिशा देने में सक्षम हैं जो क्रांति की ओर ले जायेगी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वह नई संस्कृति, नई उन्नत नीति-नैतिकता की धारणा केवल हम ही दे सकते हैं। जो लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वे शुरू में ही कितनी राजनीति समझते हैं? वे वास्तव में हमारी संस्कृति के कारण हमारी पार्टी की ओर आकर्षित होते हैं। कलकत्ता में 5 अगस्त की जो सभा हुई वह पिछले साल की सभा से कई गुना अधिक विशाल थी। उसका फोटो गणदाबी में छपा है। वह इतनी विशाल इसलिए हो गई क्योंकि 'फ्लोटिंग मासेस' अर्थात् पार्टी से बाहर के आम लोग उसमें शामिल हुए। हर जगह ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भले ही सचेत न सही, लेकिन लोगों में यह भावना है कि व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की जरूरत और यह बदलाव केवल एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ही ला सकती है। उन्हें इसका वास्तविक अर्थ पता नहीं है। लेकिन वे यह कहेंगे कि व्यवस्था को पूरी तरह बदले बिना, क्रान्ति के बिना, उनके संकट दूर नहीं हो सकते। जनता में यह भावना धीरे-धीरे जोर पकड़ती जा रही है कि क्रान्ति की जरूरत है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। लेकिन वास्तव में क्रान्ति क्या है? क्रान्ति का स्वरूप क्या है? किसके खिलाफ तथा किसके लिए क्रांति होगी? अगर ये सब सवाल साफ न हों, तो वे इसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे। यह सब हमें उन्हें समझाना है। सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि हम पूँजीवाद को उखाड़ फेंककर समाजवाद कायम करेंगे। अगर हम एक नई नीति-नैतिकता की धारणा, उन्नत मूल्यबोधों व रूचि-संस्कृति पर आधारित नया जीवन बोध अर्थात् क्रान्तिकारी जीवन की समग्र ज्ञान मिमांसा की वह धारणा दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं जो एक नई सभ्यता और नये इन्सानों को जन्म दे सकती है तो क्रांति नहीं हो सकती, हम लोगों को एक क्रान्तिकारी शक्ति नहीं बना सकते और क्रान्ति नहीं कर सकते। नीरस राजनीति से कुछ प्राप्त नहीं होता। परन्तु यह नई सभ्यता किस आधार पर खड़ी होगी? इस नई सभ्यता की आलीशान इमारत केवल जीवन की एक नई धारणा, उन्नत नीति-नैतिकता की धारणा की नींव पर ही खड़ी की जा सकती है जो कि कॉमरेड घोष के विचार ने दी है। इसीलिए कॉमरेड्स, हमें इस आन्दोलन को गहराई से समझना होगा।

फिलहाल चल रहे इस अभूतपूर्व आन्दोलन को, भ्रष्टाचार-विरोधी इस महान संघर्ष को हमें अलगाव में नहीं, बल्कि समग्रता में समझना होगा और हमें पूरे मन से इस आन्दोलन में शामिल होना होगा। इन विषयों पर आपस में लगातार चर्चा करते रहो और रोजाना नेताओं से मार्गदर्शन लेते रहो लेकिन जनता के बीच रहो, लोगों को लामबंद करो, उन्हें सही दिशा देकर सड़कों पर उतारो, उन्हें एक नई दिशा दो और उन्हें लगातार शिक्षित करते रहो। लोग निश्चित रूप से लामबंद होंगे। विभिन्न जिलों में जहां हमने हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन संगठित किये हैं, वहां हमारा ही विचार फैल रहा है। अगर हम अधिकांश राज्यों में आन्दोलन की गति को तेज रख पाएं, तो हमारी लाइन उभर कर सामने आ जाएगी। हमारे नारे लोगों के नारे बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे हमारी जो संस्कृति उभरेगी, वह आन्दोलन में अन्तर्निहित राष्ट्रीय कट्टरपन के बीजों को खत्म कर देगी। हमें यह समझना चाहिए कि भले ही मोटे तौर पर यह एक लोकतांत्रिक आन्दोलन है लेकिन इसमें सीमाबद्धताएं और खतर भी अन्तर्निहित हैं। इसमें मौजूद राष्ट्रीय कट्टरपन तथा अंध राष्ट्रवाद के बीजों को खत्म करना होगा। बुर्जुआ के राष्ट्रप्रेम के बोध तथा सर्वहारा के राष्ट्रप्रेम के बोध में अन्तर है। बुर्जुआ वर्ग देशप्रेम का नारा लगाते हुए देशवासियों के हितों को बेच भी सकता है। वह मुनाफे के लिए, बाजार के लिए ऐसा करता है। देश को बचाने की जिम्मेदारी हमेशा कम्युनिस्टों के कंधों पर ही आई है और उन्होंने उसे पूरी तनदेही से निभाया है। कॉमरेड घोष ने दिखाया था कि इस युग में राष्ट्रप्रेम और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद में कोई अन्तर्विरोध नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के सम्पूरक हैं। हम राष्ट्रप्रेम के नारे उठाएंगे लेकिन साथ ही साथ, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का नारा ''दुनिया के मजदूरों एक हो'' भी उठायेंगे जो कि सर्वहारा के महान शिक्षकों कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा बुलंद किया गया था। यह महज एक राजनैतिक नारा नहीं है, बल्कि धर्म, जाति, नस्ल तथा राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। हमारी लड़ाई अमेरिकी साम्राज्यवादियों के खिलाफ है न कि अमेरिकी मेहनतकश वर्ग तथा जनता के खिलाफ, पाकिस्तानी पूँजीपतियों के खिलाफ है न कि पाकिस्तानी मजदूर वर्ग व आम जनता के खिलाफ। उसी प्रकार पूरी दुनिया के मजदूर और आम लोग हमारे कॉमरेड व मित्र हैं और हम लोग केवल सैद्धान्तिक, राजनैतिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप में भी उनसे जुड़े हुए हैं। शासक-शोषकों और दमनकारियों के खिलाफ मेहनतकश लोगों के संघर्ष में हम उनके साथ हैं। अगर इन धारणाओं व संस्कृति के मर्म को न समझा जाए, तो कोई भी राष्ट्रीय कट्टरपन तथा अंधराष्ट्रवाद का शिकार बन ही जाएगा। इसके दृष्टिकोण की कमी के कारण ही तथाकथित कम्युनिस्ट ''वन्दे मातरम्'' आदि नारों को सुनने मात्र से ही डर कर खुद को इस आन्दोलन से लगभग अलग-थलग रख रहे हैं। केवल हम ही इस संघर्ष के बीच में रहकर इस आन्दोलन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कॉमरेड्स, हमें यह करना ही होगा।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com